

SHREEOSWAL SEEDS AND CHEMICALS LIMITED

CIN: L01111MP2017PLC044596

Registered Office: "Oswal House", Opposite Balkavibairagi College, Nasirabad Highway,
Village Kanwati, Neemuch MP 458441

Tel. No. 07423-297511, Email id- oswalgroups2002@gmail.com

Website-www.oswalseeds.com

Date: 05th August, 2025

To,
The Secretary
Corporate Compliance Department,
The National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex
Mumbai-400001 (M.H.)

**SUBJECT: NEWSPAPER ADVERTISEMENT REGARDING DISPATCH THE NOTICE
(ANNUAL REPORT) OF 08TH ANNUAL GENERAL MEETING.**

**REFERENCE: SHREEOSWAL SEEDS AND CHEMICALS LIMITED (NSE Symbol:
OSWALSEEDS; ISIN: INE00IK01029)**

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 Read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of the newspaper advertisement regarding the dispatch of Notice (Annual Report) of 08th Annual General Meeting of the Company, in Hindi (Chotha Sansar) & English (Free Press) newspaper.

You are requested to please take on record the above said information for your reference And further needful.

Thanking you.

Yours Faithfully,

FOR:- SHREEOSWAL SEEDS AND CHEMICALS LIMITED

DILIP PATIDAR
COMPANY SECRETARY
M.N:- A34566

एक नजर

मालेगांव केस के फैसले पर बोले मुख्यमंत्री- कांग्रेस की साजिश नाकाम

भोपाल, (निप्र)। मालेगांव ब्लास्ट केस में साची प्रजा टाकुर सहित सभी आरोपियों के बरी होने के बाद राजनीतिक बतानबाजी तेज हो गई है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक बार फिर इसे कांग्रेस की साजिश का पता चला बताया है। विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोर्ट के फैसले से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। हमने शुरू से कहा था कि साची जी निर्दोष है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने मगवा आतंकवाद का झूठा नैरेटिव गढ़ा था, जो अब पूरी तरह से बेतक़ाब हो गया है। मुख्यमंत्री ने साची प्रजा के उस बयान का भी जिक्र किया। जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेने के लिए दौड़ते-दौड़ते मालेगांव के कोर्ट के फैसले से स्पष्ट हो गया है कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकते। डॉ. यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने राजनीतिक हितों के लिए देश की संत परंपरा और धार्मिक मान्यताओं को अपमान पहुंचाया, लेकिन सच की जीत हुई। कोर्ट का निर्णय पूरे देश को दिखा देने वाला है।

कारों में लगी आग, सीसीटीवी में दिखा सड़िगंध

भोपाल, (निप्र)। भोपाल में तलेया थाना क्षेत्र के कमला पार्क इलाके में दो सेटों कारों में अचानक आग भड़क उठी। घटना रविवार देर रात देरपरा स्थित सीसीटीवी क्लिबिक के सामने की है। जहां फरियारी ओसामा अली और उनके भतीजे साईम अली की कारें खड़ी थीं। उन्होंने सीसीटीवी की हवाले से कहा कि किसी युवक ने कार पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाई, सीसीटीवी में एक सड़िगंध भी दिखाई देता है। जानकारों के अनुसार, ओसामा अली पैसे से दूध ट्रेन है।

सदन में गरमा गई खाद की लड़ाई

भोपाल, (निप्र)। मध्यप्रदेश विधानसभा में बीजेपी विधायक संदीप जायसवाल ने खाद आपूर्ति में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जरूरत के समय निजी दुकानदारों को प्राथमिकता दी जाती है। जबकि सहकारी समितियों को कम खाद मिलता है। कृषि मंत्री ने खाद की कोई समस्या न होने का दावा किया, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के विधायक संतुष्ट नहीं हुए।

बच्चों को सूखा खाना, मंत्री खा रहे हजारों के डायफ्यूट- मध्यप्रदेश में कुपोषण को लेकर सामने आए आंकड़ों चौंकाने वाले हैं। कांग्रेस विधायक विक्रान्त भूरिया के सवाल पर सरकार ने बताया कि प्रदेश में 1.36 लाख कुपोषित बच्चे हैं। जिनमें से 29,830 गंभीर रूप से कुपोषित हैं। आदिवासी जिलों

में हर 4 में से 1 बच्चा कुपोषित है। प्रतिदिन केवल 8इंच 12 रुपए का खर्च हो रहा है। हेल्मेट नियम पर बहस- विधानसभा में परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने हेल्मेट के बिना पेट्रोल न देने के नियम पर चर्चा करते हुए कहा कि कुछ बातें सामाजिक रूप से जरूरी हैं, लेकिन हर बात कानून में होना जरूरी नहीं है। उनके अनुसार, यह नियम किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर रोक नहीं लगाता, बल्कि लोगों की सुरक्षा के लिए है।

विधानसभा में पेश हुए ये विधेयक- मध्य प्रदेश विधानसभा में आज कई अहम विधेयकों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सबसे पहले मध्य प्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन और विकास विधेयक को सदन में पेश किया। जिससे प्रदेश के शहरी इलाकों में बेहतर विकास

कांग्रेस शासन में एक भी पट्टा नहीं बांटा गया- मुख्यमंत्री

सरकार आदिवासियों की जमीन छीनकर निजी हाथों में दे रही: सिंधार



भोपाल, (निप्र)। मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का 6वां दिन है। सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंधार ने मध्य प्रदेश में साढ़े 3 लाख वन अधिकार पट्टे निरस्त करने का मुद्दा उठाया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंधार ने कहा, जंगल पर निर्भर आदिवासियों की जमीन छीनकर सरकार निजी हाथों में देना चाहती है। इसके जवाब में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सबसे ज्यादा पट्टे भाजपा सरकार में ही बांटे गए हैं। जबकि कांग्रेस के शासन में एक भी पट्टा नहीं बांटा गया।

बिना नोटिस दिए पट्टा खारिज किया- विधानसभा में आदिवासी जिलों में वन अधिकार के दावेदारों के प्रकरणों को खारिज कर बेदखल करने को लेकर विधानसभा में नेता

प्रतिपक्ष उमंग सिंधार, विधायक अजय सिंह, हीरालाल अलावा ने ध्यानाकर्षण लगाया। उमंग सिंधार ने कहा कि पट्टा खारिज करने के लिए आदिवासी को नोटिस देने का नियम है। नेपा नगर में कोई नोटिस नहीं दिया गया है। वहीं कांग्रेस विधायक अजय सिंह ने कहा कि जिनके पट्टे निरस्त किए गए हैं। उनको लेकर सरकार ने किया रणनीति बनाई है। उमंग सिंधार ने मुख्यमंत्री को सुझाव देते हुए कहा, ह्यआपके फॉरिस्ट के अंदर सेटलाइट से अभी आपने शुरूआत की है लेकिन फायर अलर्ट की प्राथमिकता है। जब टेक्नोलॉजी का जमाना है और एआई का आ गया है तो नासो-इसरो से पुरानी इमेजरी क्यों नहीं कनेक्ट करते हैं। कमेटी में क्यों उलझे हैं। गरीब आदिवासी ओटीपी कहां से लाएगा।

मुख्यमंत्री बोले- किसी को बेदखल नहीं किया जाएगा- वन अधिकार पट्टे निरस्त करने को लेकर कांग्रेस के आरोपों का मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में एक भी पट्टे नहीं दिए। हमारी सरकार ने आदिवासियों को पट्टे दिए हैं। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि बारिश में किसी भी आदिवासी भाई का मकान आवास नहीं उखाड़ा जाएगा। सरकार सर्वे करवाएगी। किसी भी आदिवासी को बेदखल नहीं किया जाएगा।

लक्ष्मी की प्रतिमाएं मिट्टी से ही निर्मित हों : डॉ. यादव

मुख्यमंत्री ने किया माटी गणेश-सिद्ध गणेश अभियान का शुभारंभ

भोपाल, (निप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा संचालित माटी गणेश सिद्ध गणेश अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भगवान गणेश के पूजन से व्यक्ति को ज्ञान, बुद्धि और रिद्धि-सिद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान गणेश सबके मनोरथ पूर्ण करें। कृपावर्त भगवान का शुभाशीर्ष हम सब पर बरसे और हमारे प्रदेश में सुख-समृद्धि का सतत संचार हों। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जन अभियान परिषद के पदाधिकारियों से कहा कि

भगवान गणेश, नवरात्रि में मां दुर्गा और दीपावली पर्व पर महालक्ष्मी की प्रतिमाएं भी मिट्टी से ही निर्मित हो। इसके लिये जागरूकता अभियान भी चलाएं। उन्होंने कहा कि मिट्टी की प्रतिमाएं मिट्टी में ही समाहित हो जाती हैं, इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता। इस अभियान का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और गणेश चतुर्थी पर्व पर जन-जन को पवित्र माटी और गोमाता के गोबर से निर्मित गणेश प्रतिमाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करना है, ताकि जल स्रोतों की स्वच्छता बनी रहे और प्राकृतिक संतुलन भी अक्षुण्ण रहे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की मौजूदगी में आनंद ग्रामों के विकास और नदी संरक्षण पर हुए दो एमओयू

जन अभियान परिषद एवं नर्मदा समग्र के बीच हुआ द्विपक्षीय एमओयू

भोपाल, (निप्र)। मुख्यमंत्री एवं म.प्र. जन अभियान परिषद के अध्यक्ष डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में सोमवार को दो अलग-अलग विषयों से जुड़े समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में एक संक्षिप्त कार्यक्रम में हुए इन एमओयूस को हस्ताक्षरित कर संबंधित

पक्षों द्वारा आदान-प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी पक्षों को बधाई देते हुए कहा कि हम सब मिलकर प्रदेश के विकास के लिए काम करेंगे।

पहला त्रिपक्षीय एमओयू राज्य आनंद संस्थान, भोपाल, दीनदयाल शोध संस्थान, चित्रकूट एवं म.प्र. जन अभियान परिषद, भोपाल के मध्य हुआ। इस एमओयू का उद्देश्य तीनों संस्थानों द्वारा आपसी प्रशिक्षण के जरिए प्रदेश में आनंद ग्रामों के विकास

तथा सतत विकास के लक्ष्य पर आधारित ग्राम विकास अवधारणा के क्रियान्वयन की साझा पहल करना है। दूसरा द्विपक्षीय एमओयू म.प्र. जनअभियान परिषद, भोपाल और नर्मदा समग्र, भोपाल के बीच हुआ। इस एमओयू का उद्देश्य दोनों संस्थानों द्वारा मध्यप्रदेश में नदी संरक्षण से जुड़े विविध आयामों पर नागरिकों की मन-रिथिति और वर्तमान परिस्थिति बदलने के लिए साझा प्रयास करना है।

कांग्रेस विधायक मसूद के कॉलेज की जमीन की रजिस्ट्री फर्जी

भोपाल, (निप्र)। म.प्र. विधानसभा सत्र के पांचवें दिन भोपाल कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज की मान्यता को लेकर जमकर हंगामा हुआ। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंधार ने भोपाल विधायक आरिफ मसूद के कॉलेज की रद्द की गई मान्यता का मुद्दा उठाया। सिंधार ने कहा कि पहले उच्च शिक्षा विभाग ने अनुमति जारी की, फिर अनुचित तरीके से उसे रद्द कर दिया गया। उच्च शिक्षा मंत्री इंद्रसिंह परमार ने कॉलेज की जमीन की रजिस्ट्री फर्जी बताकर एफआईआर कराने का ऐलान किया।

फर्जी रजिस्ट्री पर बनाई गई थी साल्वेंसी- विधानसभा में जवाब देते हुए उच्च शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार ने कहा कि कॉलेज की अनुमति जमीन की फर्जी रजिस्ट्री के कारण रद्द की गई है। फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर साल्वेंसी बनाई गई थी। जांच में धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है और इस मामले में अब एफआईआर दर्ज की जाएगी।

एसे कॉलेजों का संरक्षण नहीं होना चाहिए- कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस मुद्दे की गंभीरता पर जोर देते हुए कहा कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कॉलेज चलाया जा रहा था। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे कॉलेज में किस तरह की उच्च शिक्षा दी जा रही होगी और ऐसे कार्यों को संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए।

इसी माह रिटायर होंगे मुख्य सचिव अनुराग जैन सेवा अवधि में विस्तार को लेकर अटकलें तेज

भोपाल, (निप्र)। प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ऐसे में यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि क्या उन्हें सेवा विस्तार मिलेगा या किसी नए वरिष्ठ अधिकारी को शीर्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। प्रशासनिक हलकों में इसे लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ऐसे में यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि क्या उन्हें सेवा विस्तार मिलेगा या किसी नए वरिष्ठ अधिकारी को शीर्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। प्रशासनिक हलकों में इसे लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। 1989 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनुराग जैन को पिछले वर्ष सितंबर में उस समय मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था। जब वे केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर थे। उनकी नियुक्ति को केंद्र की प्राथमिकता माना गया था। यही वजह है कि अब उनके संभावित सेवा विस्तार को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को सेवानिवृत्ति के दिन ही एक साल का सेवा विस्तार दिया।

स्कूल, कॉलेज, गर्ल्स हॉस्टल में बढ़ेगी पेट्रोलिंग खत्म करेंगे ड्रग्स माफियाओं का नेटवर्क- डीजीपी

भोपाल, (निप्र)। मध्यप्रदेश में लव जिहाद, बालिकाओं के शोषण और ड्रग्स के नशे के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस एक बार फिर सख्ती शुरू करने जा रही है। मध्यप्रदेश में लव जिहाद, बालिकाओं के शोषण और ड्रग्स के नशे के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस एक बार फिर सख्ती शुरू करने जा रही है। जिससे अब मजनुओं को नहीं बखशा जाएगा। स्कूल, कॉलेजों के आसपास पेट्रोलिंग बढ़ेगी। हॉटस्पॉट चिह्नित कर ड्रग्स माफियाओं का नेटवर्क खत्म करेंगे। डीजीपी कैलाश मकवाना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी एडीजी, आईजी और एसपी को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी बालिका का शोषण धार्मिक आधार पर न हो। किसी भी प्रारंभिक शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई की जाए। गर्ल्स, वर्किंग युवम हॉस्टल से समंवय के लिए बीट अधिकारियों को नोडल बनाएं।

संवेदनशील इलाकों की पहचान करें- डीजीपी ने ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ भी अभियान तेज करने का आदेश दिया। अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में ड्रग्स के हॉटस्पॉट और संवेदनशील इलाकों की पहचान करके, सुनिश्चित तरीके से अभियान चलाकर ड्रग्स माफिया के पूरे नेटवर्क को खत्म करने का निर्देश दिया गया है।



अवैध गांजा का परिवहन करते चार आरोपी गिरफ्तार

आष्टा, (निप्र)। पुलिस ने जावर थाना क्षेत्र के इंदौर - भोपाल हाइवे पर अरनियागाजी जोड़ पर चौहान बस यात्री को उतारते समय दुर्घटना का शिकार होकर खर्ती में पलटी खा गई थी। बस की डिवकी में रखे सामान को निकालते समय पुलिस को बेग लेकर जा रहे युवक का बेग फट गया, जिसमें से कोई चमकीला सा पैकेट दिखाई दिया, वह बेग को छुपाकर ले जा रहा था, वह एक कार में बैठ गया। संदेह होने पर पुलिस ने हमराह को साथ में लेकर कार का पीछा कर दुर्घटना स्थल से थोड़ा सा आगे जाकर रोका। कार में आगे ड्राइवर सहित दो व्यक्ति बैठे हुए थे, पीछे भी दो व्यक्ति। पुलिस को उक्त बेग में 15 किलो 996 ग्राम गांजा कीमती 6 लाख 52 हजार रुपये का एवं एक हंडई कार इओन एमपी 37 सी 4681पुलिस ने जब्त की है। पुलिस ने इस मामले में चारों को गिरफ्तार किया है। इन्हें जिला मुख्यालय के विशेष न्यायालय में पेश कर पुलिस

रिमांड लिया जाएगा। देर रात तक प्रकरण दर्ज किया गया। एसडीओपी आकाश अमलकर ने बताया कि रिविचार को थाना जावर क्षेत्र के अरनियागाजी जोड़ पर दो बसों की दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस मौके पर पहुंची। दुर्घटना में चौहान बस को पीछे से टक्कर लगने के कारण बस पलट गई थी, जिससे डिवकी जाम हो गई थी। फ्रेंक की सहायता से बस को सीधा कर डिवकी खोली गई इसी दौरान तीन युवक डिवकी से सामान निकालकर एक ईयोन कार में रख रहे थे। पुलिस को युवकों की गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत हुई, जिस पर तत्काल कार की तलाशी ली गई। वाहन में चार युवक सवार थे और 7 बैग रखे थे। बैगों की तलाशी लेने पर उनमें टेप से पैक किए हुए कुल 9 पैकेट गांजा (वजन लगभग 16 किलो) बरामद किया जाकर अपराध क्रमांक 284/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

कपड़े सुखाते समय लगा हाइवोल्टेज लाइन से करंट

भोपाल, (निप्र)। भोपाल के खजूरी सड़क और इंटरवेडी वाला क्षेत्रों में करंट ताकत से दो लोगों की मौत हो गई। खजूरी सड़क पर 23 वर्षीय टूक कबीर देव किशन की हाई वोल्टेज लाइन की चोट में आने से इलाज के दौरान मौत हो गई। खजूरी सड़क में एक टूक कबीर देव की चोट में आने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं इंटरवेडी में भी एक व्यक्ति की श्रद्धि परिस्थितियों में करंट से झुलसकर मौत हो गई है।

नाम परिवर्तन सूचना

यह की सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम कुंभार कृष्ण सरफ है, मेरी 10 वीं अंकांकुषी जो केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 12/05/2023 को जारी की गई है। जिसमें मेरी माता का नाम अंजिनी (G AYTRI SARAF) लिखा गया है। जो गलत है, सही नाम अंजिनी में परिवर्तित होकर (G AYTRI SARAF) से जाना पहचाना जाए। पता मकान नंबर 114/2 वार्ड नं. 6 महर्षि दयानंद वार्ड, वाडी की पाल राजपुरा बुरहानपुर म.प्र.

SUNDARAM FINANCE
Enduring values. New age thinking.

VEHICLE FOR SALE

ASSIET CLASS TRACTOR

MAKE - SWRAJ
TYPE-744 XT
MODEL-2023
RC NO. MP-11-ZD-1538
ENGINE NO. E24008SFE17489
CHASSIS NO. MBNBU53AHPCE62171

SUNDARAM FINANCE LTD
FIRST FLOOR, PLOT NO.13/2, DHAR
CHIKHALDA ROAD OPP. TO GAYTRI
MANDIR, KUKSHI DIST-DHAR MP-454331
CON-NO. 94256-00152

SUNDARAM FINANCE
Enduring values. New age thinking.

VEHICLE FOR SALE

ASSIET CLASS TRACTOR

MAKE - NEW HOLLAND
TYPE-3600-2
MODEL-2023
RC NO. MP-46-ZC-4684
ENGINE NO. 421319DX
CHASSIS NO. NHN36020ZPK670244

SUNDARAM FINANCE LTD
FIRST FLOOR, PLOT NO.13/2, DHAR
CHIKHALDA ROAD OPP. TO GAYTRI
MANDIR, KUKSHI DIST-DHAR MP-454331
CON-NO. 94256-00152

न्यायालय तहसीलदार, तहसील आष्टा जिला सीहोर
क्रमांक 0053/-27/2025-26

//सूचना पत्र//

1-आरोपों की पुत्री युजस अली, 2-साथीर अली आ० युजस अली, 3-जाकिर अली आ० युजस अली, 4-शाहिन अली आ० युजस अली, 5-फौजिया की पुत्री अख्तर अली, 6-मन्सूर अली आ० अख्तर अली, 7-मजर अली आ० अख्तर अली, 8-अतार अली आ० अख्तर अली, 9-तारिक अली आ० अख्तर अली, 10-शरामत अली आ० अख्तर अली सभी जाति सैयदवंशीय निवासीया आष्टा कृष्णचम ग्राम अहमदनपुर जीवन, तहसील आष्टा जिला सीहोर, म०प्र०

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री नवेद अली आ० नासिर अली व अन्य 07 निवासीयण आष्टा को ओर से ग्राम अहमदनपुर जीवन, तहसील आष्टा, जिला सीहोर स्थित भूमि ख०० 23/11/1 रकबा 1.827 है ० कृषि भूमि का आवेदकण व अनवेदकण के मध्य राज्य स्व अलिखित में बटवारा किये जाने हेतु आवेदक पर प्रस्तुत किया गया है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचारधीन होकर आपके (अनवेदकण) जवाब एवं सुनवाई हेतु नियत है। आवेदकण द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र में आपके सही पते का उल्लेख नहीं है। अतः आवेदित भूमि के बटवारे के सम्बन्ध में यदि आपको हो तो लिखित आवेदन/अपनी स्वयं, मान्यता प्राप्त अभिकर्ता एवं वकील के माध्यम से दिनांक 08/08/2025 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। सिपाद उपात आवेदक / आपत्त प्रस्तुत करने पर उस पर कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जायेगी। आज दिनांक 30/07/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया आष्टा दिनांक 30/07/2025

रामलाल पगारे
तहसीलदार आष्टा तहसीलदार

जाँच सूचना

कृषि भूमि खसरा क्रमांक 1445/2 का अंश भाग स्थित ग्राम कोटवी तहसील आष्टा जिला सीहोर म०प्र० के सम्बन्ध में सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार ने विक्रेता रूप से विप्रेत गाँव देवनाथ जहाँ खती निवासी एवं कृषक ग्राम कोटवी कलां तहसील आष्टा जिला सीहोर म०प्र० से उक्त स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि खसरा खसरा क्रमांक 1445/2 (S) रकबा 9.8700 हेक्टर में से विक्रय रकबा 3.5040 हेक्टर लगान 13.07 से विप्रेत गाँव कोटवी कलां तहसील आष्टा जिला सीहोर म०प्र० को क्रय करने का सोच कर मेरे पक्षकार ने अनुबंध पत्र के माध्यम से राशि का प्रदान कर दिया है उक्त भूमि के विक्रय किये जाने में किसी भी व्यक्ति, संस्था फर्म, सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय को किसी भी प्रकार की कोई आपत्त हो या किसी भी प्रकार का कोई लेन देन हो अथवा उक्त भूमि कही विक्रय, धन, वसीयत, हस्तान्तरण हो तो वह व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा सूचना प्रकाशन के 10 दिवस के अन्दर, मेरे कार्यालय में माय दस्तावेज उपस्थित होकर आपत्त प्रस्तुत करे अथवा इसके उपरांत किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्त मान्य नहीं होगी एवं मेरे पक्षकार उक्त भूमि के विक्रय पत्र का पंजीयन अपने पत्र में करवा लेना सूचित होवे

कालीलाल जाशी एडवोकेट
कार्यालय आष्टा जिला सीहोर म०प्र०
मो 9893102989

श्रीओसवाल सीड्स एंड केमिकल्स लिमिटेड
वेबसाईट : www.oswalseeds.com

CIN: L01111MP2017PLC044596

पंजीकृत कार्यालय : ओसवाल हाउस, बालकवि बैरागी कॉलेज के सामने, नरिसाहाद हाईवे, गाँव - कानावटी, नीमच - 458441 (म.प्र.)
फ़ोन : 07423 -297511 ई-मेल : oswalgroups2002@gmail.com

बीडियों कॉन्फ्रेंसिंग /अन्य ऑडियो विडिओल माध्यम से आयोजित होने वाली 08वीं वार्षिक साधारण सभा, पुस्तक बंद तथा ई-वोटिंग जानकारी की सूचना

यह हमारे द्वारा पूर्व में दिनांक 29 जुलाई 2025 के संचार में, जिसके अंतर्गत श्रीओसवाल सीड्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों को सूचित किया गया था, कि कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एसीए) और भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी किए गए लागू परिपत्र के अनुसार सदस्यों की 08वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) को शुक्रवार 29 अगस्त, 2025 को दोपहर 02:00 बजे (भारतीय मानक समय), आम स्थान पर सदस्यों की मौखिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) /अन्य ऑडियो विडिओल मीडिय (ओवीएम) सुविधा द्वारा 08वीं एजीएम सूचना में दिए गए व्यवसाय को लेन-देन करने का निश्चय किया है। एमसीए और सेबी परिपत्रों ने शेयरधारकों को वार्षिक रिपोर्ट की मौखिक प्रतियों की छपाई और प्रेषण के संबंध में कंपनियों को छूट प्रदान की है। कोई भी सदस्य कंपनी को कंपनी की ईमेल oswalgroups2002@gmail.com पर अनुरोध भेजकर रिपोर्ट की मौखिक प्रतियों के लिए अनुरोध कर सकता है।

एमसीए परिपत्रों तथा सेबी परिपत्रों के अनुसार, जिन सदस्यों के ई-मेल पते, कंपनी या रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट या सम्बंधित डिपॉजिटरी पार्टीरिपेस (डीपी) के पास पंजीकृत है, उन्हें ई-वोटिंग के साथ वीसी /ओवीएम सुविधा द्वारा 08वीं एजीएम में शामिल होने की प्रक्रिया सहित 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट तथा 08वीं एजीएम की सूचना 04 अगस्त, 2025 को ई-मेल के माध्यम से भेजी गई है। यह सभी जानकारीयों कंपनी की वेबसाइट (www.oswalseeds.com), स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट (www.nseindia.com) तथा सेंट्रल डिपॉजिटरिस सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) (www.evotingindia.com) की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके अलावा, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के संशोधित विनियम 36 के अनुसार, कंपनी ने कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट द्वारा उस शेयरधारकों को पंजीकृत पते पर एक पत्र भेजा गया है, जिन्होंने कंपनी के साथ अपना ई मेल पता पंजीकृत नहीं किया है। इसमें वार्षिक रिपोर्ट का पूरा विवरण उपलब्ध करने वाले सटीक पत्र सहित वेब लिंक भी शामिल है।

कंपनी के सदस्यों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और उसके तहत लागू कंपनी (प्रबंध तथा प्रशासन) विनियमों, 2014 के तथा संशोधित निधम 20 तथा सेबी (सूची निर्धारण और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार कंपनी ने 08वीं एजीएम सूचना में दिए संकल्पों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान के लिए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा सभी सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग (एजीएम से पूर्व) तथा ई-वोटिंग (एजीएम के दौरान) की सुविधा प्रदान की गई है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों और उसके तहत निर्धारित प्रासंगिक नियमों के अनुसार विवरण इस प्रकार है -

1. एजीएम, कि सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निर्वाहित किया जायेगा।
2. दूरस्थ ई-मतदान प्रारंभ करने की तारीख और समय : मंगलवार, 26 अगस्त 2025 प्रातः 09:00 बजे से (भारतीय समयानुसार)।
3. दूरस्थ ई-मतदान समाप्त करने की तारीख और समय : गुरुवार, 28 अगस्त 2025 सां. 05:00 बजे तक (भारतीय समयानुसार)।
4. निर्णायक तिथि : शुक्रवार, 22 अगस्त 2025
5. यदि कोई सदस्य एजीएम, सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी कि सदस्यता अर्जित करते है तथा निर्णायक तिथि को शेयर धारित करते है उस परिस्थिति में वह 08वीं एजीएम की सूचना में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन कर लौंगे आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते है।
6. गुरुवार, 28 अगस्त 2025 सां. 05:00 बजे तक (भारतीय समयानुसार) के पश्चात इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग कि अनुमति नहीं होगी। ई-मतदान सुविधा सां. 05:00 बजे (भारतीय समयानुसार) के पश्चात तत्काल बंद कर दी जाएगी।
7. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी और सभा में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने एजीएम से पूर्व ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वहीं सदस्य ई-वोटिंग के माध्यम से सभा में अपने अधिकार का उपयोग करने में सक्षम होंगे।
8. कोई भी सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान करने के बावजूद भी इस साधारण सभा में भाग ले सकते है, लेकिन सभा में उन्हें दोबारा मतदान करने कि अनुमति नहीं दी जाएगी।
9. जिन सदस्यों का नाम निर्णायक तिथि को डिपॉजिटरीज द्वारा प्रेषित लाभ भोगी स्वामियों के रजिस्टर में अथवा सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है, वे ही रिमोट ई-वोटिंग के साथ ही साथ वार्षिक आम सभा में मतदान की सुविधा का लाभ उठाने के लिए अधिकृत होंगे।
10. सदस्य द्वारा एक बार किसी प्रस्ताव पर मतदान किए जाने के पश्चात मतदान में परिवर्तन करने की उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी।
11. 08वीं एजीएम कि सूचना और वित्तीय वर्ष 2024-25 कि वार्षिक रिपोर्ट कंपनी कि वेबसाइट www.oswalseeds.com और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।
12. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से जुड़ी सभी शिकायतों के लिए एच।राकेश दलवी, सिनियर मैनेजर, सेंट्रल डिपॉजिटरिस सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल), ए.वि. 25 वीं मंजिल, मैथपथ फ्यूचरएक्स, मकतलाल मिल कम्पाउंड, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परत (एई), मुंबई - 400013 को संपर्कित किया जा सकता है या helpdesk.evoting@cdsindia.com पर ईमेल भेजे या टोल नंबर 1800225533 पर कॉल करें।

बोर्ड के आदेश से
श्रीओसवाल सीड्स एंड केमिकल्स लिमिटेड
हस्ताक्षर /
वित्तीय प्रबन्धक
कंपनी निरक्षर एवं अनुपस्थित अधिकारी
ए.सी.ए.ए. 34566

दिनांक : 04 अगस्त, 2025
स्थान : नीमच

From front page

What was the hurry: SC...

interest of lakhs of devotees besides including the main stakeholders in the managing committee. The bench told Additional Solicitor General K M Nataraj, appearing for the Uttar Pradesh government, "Less said the better. How do you justify the directions passed by the court? The state in the most unfortunate way came to the court in the most clandestine manner without informing the court receiver or stakeholders (members of the family who claimed to be the owner of the temple). Get the directions behind their back and set aside the order of the high court. This is the least thing we expect from the state." The top court at present is not adjudicating the constitutionality of the ordinance and the high court will look into it.

India hits back at...

"The US at that time actively encouraged such imports by India for strengthening global energy markets stability," the MEA said, adding India's imports are meant to ensure predictable and affordable energy costs to the Indian consumers. "They are a necessity compelled by global market situation. However, it is revealing that the very nations criticizing India are themselves indulging in trade with Russia," it said.

Govt tables bill to...

The state government, on the recommendation of the MRDA or local officers, can initiate land acquisition. The MRDA will handle compensation and formal procedures such as public discussion and payment of fixed amounts. Each metropolitan area will have a Metropolitan Scheme Committee, while the Chief Minister will head the MRDA. The Urban Development Minister, Panchayat Minister and Revenue Minister will serve as vice-chairmen.

Moreover, government can declare any urban or rural area as a development area under the act. The bill also allows merging of two or more metropolitan regions to form a single one.

To implement the bill, the government will set up a Metropolitan Development Fund with an initial corpus of Rs 200 crore. Besides, a Rs 100 crore fund will be created specifically for MRDA to execute projects within its jurisdiction.

Fresh posting for five...

Archana Solanki, Chief General Manager (Administration) at the Madhya Pradesh Rural Road Development Authority, has been transferred as Deputy Secretary in personnel wing of General Administration Department. In a related move, Sandeep Kerkatta, Deputy Secretary to Chief Minister, has been entrusted with additional charge of Managing Director, Madhya Pradesh Seed and Farm Development Corporation.

In larger public...

Yadav was booked under the Dowry Prohibition Act and the dowry death of his wife. He was later acquitted of the dowry-related charges by a trial court in Rudrapur, but was convicted for abetment of his wife's suicide and sentenced to five years' rigorous

imprisonment. Earlier, the high court granted him bail and stayed the execution of the sentence during the pendency of the appeal.

Subsequently, Yadav filed an appeal seeking a stay on the conviction, arguing that it was necessary for him to continue his vital work in vaccine development.

Based on several legal precedents concerning the suspension of conviction and execution of sentence, the court ordered a stay on the execution of both until the final disposal of the appeal.

For the last three years, Yadav has served as senior manager at Indian Immunologicals Ltd., a leading vaccine manufacturer, where he is directly involved in vaccine R&D.

Rape case: Top court...

The court reiterated that there should be no arrest of Hemant Katara until the next hearing if he continued to cooperate with the investigation. The court has directed all parties to file their counter-affidavits within four weeks. The date of the next hearing will be fixed thereafter.

Shibu Soren breathes his...

The Jharkhand Assembly was adjourned sine die as a mark of respect to the former chief minister. Adjourning the House sine die, Assembly Speaker Rabindra Nath Mahato said, "Dishom Guru Shibu Soren left for heavenly abode today... His demise is not only an irreparable loss to Jharkhand but to the nation... He was known for his fight for the poor..." The five-day monsoon session began on August 1.

The Jharkhand government declared a state mourning for three days as a mark of respect to Shibu Soren.

The government also cancelled all its scheduled programmes, including the state-level events, while all state government offices will remain closed on August 4 and 5, an official statement said.

True Indian won't...

"If he can't say these things which are published in the Press, then he can't be a leader of opposition," Singhvi submitted.

On the bench's true Indian remark, Singhvi replied, "It is also possible that a true Indian will say that our 20 Indian soldiers were beaten up and killed. This is also a matter of concern." The top court then said, "When there is a conflict across the border, it is unusual to have casualties on either sides?" Singhvi said Gandhi was only on the point of proper disclosure and raising concerns about the suppression of information.

Justice Datta said being a responsible leader of opposition, Gandhi ought not have done it as there was a proper forum to raise such questions.

Paan, tobacco spitting on...

Another wrote, "We don't need other people to destroy the image of India. Our people is already doing their best work across whole world." "One of the reasons Indian passport is losing its dignity," commented another. "The British took over India. Now Indians are taking over Britain," wrote the next.

Earlier, in 2019, the Leicester City police installed bilingual signboards in English and Gujarati warning residents against paan spitting. The signage read, "Spitting paan on the street is unhygienic and anti-social. You could be fined." And violation of this would lead to a fine of \$150 (approx. Rs 12,525), they said.

MONSOON MISERY | Cremations on rooftops, schools shut, thousands displaced in Uttar Pradesh



Biswajeet Banerjee LUCKNOW

Torrential monsoon rains have unleashed widespread flooding across Uttar Pradesh, leaving at least 36 people dead, displacing thousands, and paralyzing daily life across large swathes of the state. With water levels rising rapidly and rivers breaching danger marks, 17 districts are currently inundated, and relief operations are underway on a war footing.

Among the latest casualties are two teenage girls in Sitapur who were killed early Monday morning when a wall collapsed on them amid heavy downpours. In Budaun district, two brothers — Bhuvanesh, 9, and Navneet, 14 — drowned after entering a waterlogged pit to bathe, unaware of its depth. A third boy was rescued by villagers. These deaths have pushed the state's rain-related toll to 14 in the last 24 hours.

In eastern Uttar Pradesh, the situation has turned dire as the Ganga River continues to rise in cities like Varanasi and Prayagraj. Over 100,000 homes have been submerged, and cremation grounds — including Varanasi's sacred Manikarnika and Harishchandra ghats — have been inundated. In a striking image of the city's distress, bodies are now

36 dead In Uttar Pradesh

being cremated 15 feet above the flooded ghats, on rooftops converted into makeshift funeral platforms. Families wait for hours with corpses as soaked firewood delays cremations, and multiple pyres are being lit at once to manage the growing queue.

Floodwaters have reached all 84 ghats in Varanasi, forcing over 10,000 shopkeepers to relocate. Narrow lanes near Harishchandra Ghat are now hosting cremations alongside homes. Boats have replaced vehicles in many parts of the city as water has overtaken the streets.

In the capital, Lucknow, heavy rains have battered the city for more than 50 straight hours. Neighborhoods like Gomti Nagar are flooded with sewage water, and roads have turned into rivers, with

videos showing dogs swimming in submerged alleys. Schools were closed in 12 districts Monday, including Lucknow, due to safety concerns.

Across the state, Chief Minister Yogi Adityanath has mobilized emergency services and is personally monitoring the situation.

Ministers from the state's emergency response task force, Team-11, visited several affected districts on Sunday, overseeing rescue efforts and distributing relief material. The Chief Minister has emphasized strict oversight, warning officials against any lapse in relief delivery.

According to Relief Commissioner Bhanu Chandra Goswami, 17 districts are currently flood-affected, spanning 37 tehsils and 402 villages. These include Kanpur Nagar, Lakhimpur Kheri, Agra, Auraiya, Chitrakoot, Ballia, Banda, Ghazipur, Mirzapur, Prayagraj, Varanasi, Chandauli, Jalaun, Kanpur Dehat, Hamirpur, Etawah, and Fatehpur.

Himachal Pradesh remains severely affected by the ongoing 2025 monsoon, with heavy rainfall triggering widespread damage to life and infrastructure. On Tuesday, a total of 309 roads — including National Highway 305 — were blocked due to landslides and flash floods. Additionally, 236 water supply schemes and 113



184 dead In Himachal so far

distribution transformers (DTRs) were reported to be non-functional, according to the State Disaster Management Authority (SDMA).

The official cumulative report from the State Emergency Operation Centre (SEOC) records 184 fatalities

so far during the monsoon season from June 20 to August 3, 2025.

Of these, 103 deaths were directly attributed to rain-related causes such as landslides (17), flash floods (8), cloudbursts (17), drowning (20), electrocution (7), and other weather-triggered incidents (34). Another 81 people lost their lives in road accidents, mostly due to treacherous conditions on hilly terrain and damaged roads.

MONSOON DASHBOARD

- Met office forecasts more rains in north Bengal even as hill areas hit by landslides. Heavy rains lash Hyderabad, causes waterlogging, traffic snarls. IMD issues heavy rain alert for Punjab, Haryana & Chandigarh from August 4 to 6. Five Kanwariyas die as a DJ vehicle overturns in flooded river in Bihar. An official of the Meghalaya Agriculture Department was swept away by strong currents of the Ganol River in West Garo Hills district while attempting to cross water body during a family picnic.

SIANS

A dire humanitarian crisis is unfolding across Bihar as relentless torrential rains continue to batter the state, causing the Ganga River and its tributaries to overflow and flood vast stretches of land, putting human lives at risk and evacuation efforts have been initiated. From Buxar to Bhagalpur, including Patna, Banka, Khatwa, and Nalgachhiya, the situation is deteriorating rapidly, with rivers breaching danger levels and thousands of residents facing displacement and loss.

1000s Displaced in Bihar

NAME CHANGE

I MUSTUFA UJJAINWALA S/O SAIFUDDIN BHAI have changed my name to MUSTAFA UJJAINWALA S/O SAIFUDDIN UJJAINWALA and now I would be known as MUSTAFA UJJAINWALA S/O SAIFUDDIN UJJAINWALA. ADD:- FLAT NO.311, RAJDEEP APPT. 181, SAIFEE NAGAR, INDORE MP

NAME CHANGE NOTICE

To inform all of you that my name Pinkee Chouhan wife of Vishnu Chouhan (army number 16118626 X, Rank SPR.) but in my (wife of Vishnu Chouhan) every document and Aadhar Card my name is written as Pinkee Chouhan only which is correct also but in my husband army service record my Name is by mistake record as Pinki Chouhan which is incorrect so I wanted that it should be corrected as Pinkee Chouhan and also known me in future as Pinkee Chouhan only. PINKEE CHOUHAN WIFE OF VISHNU CHOUHAN Village Bedamau, Post Matmor, Teh. Baglim Dist.Dewas (M.P.) Pin 455227

NAME CHANGE

WE are changing our son name from MOHAMMED TO MOHAMMED RAMPURAWALA S/O ABDE MANAF RAMPURAWALA and now he would be known by MOHAMMED RAMPURAWALA S/O ABDE MANAF RAMPURAWALA FATHER- ABDE MANAF RAMPURAWALA MOTHER- ZAHABIYA RAMPURAWALA. ADD:- 171, SECTOR-D, HANSAJI NAGAR, RAU DIST. INDORE MP

NAME CHANGE

I AREFA W/O SAFDAR HUSAIN have changed my name to AREFA ATTARWALA W/O SAFDAR HUSAIN ATTARWALA and now I would be known as AREFA ATTARWALA W/O SAFDAR HUSAIN ATTARWALA. ADD:- 303, MOHAMMADI BLOCK, 10-11, RAJ TOWNSHIP, MANIK BAGH ROAD, INDORE MP

नाम परिवर्तन सूचना मे नूतन जादेन (NUOTAN JADON) बिलन श्री अजेन्द्रपाल सिंह AJENDRA PAL SINGH सरसावरण को सुविधा करती है कि मेरा नाम मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेजों में नूतन जादेन (NUOTAN JADON) लिखा है जो कि कृपया ध्यान दें। जबकि मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम नूतन जादेन (NUOTAN JADON) दर्ज है जो कि सही है। इस प्रकरण के बाद सभी शासकीय (अर्थात् शासकीय प्रमाणों में नूतन जादेन (NUOTAN JADON) बिलन अजेन्द्रपाल सिंह (AJENDRAPAL SINGH) के नाम से जाना फवना वर पुकरा जाए। नूतन जादेन (NUOTAN JADON) नया नाम- नूतन जादेन (NUOTAN JADON) W/O श्री अजेन्द्रपाल सिंह पता:- सावरन-13, खार्दर-नं. 119 हज्जीरा, वालियर (म.प्र.) 474003

Name Change Declaration

I, Atulesh, holder of Indian Passport No. G3697630, issued at Bhopal, residing at 21, Parwana Nagar, Near Garden, Sanwer Road, Ujjain - 456010 (M.P.), do hereby declare that I have changed my name to Atulesh More. In all future records, I shall be known as Atulesh More only.

ATULESH MORE

21, Parwana Nagar, Near Garden, Sanwer Road, Ujjain (M.P.) Pin-456010

Obvious Information

It is informed to the general public that Harshraj Jat, father of Shri Kachru Jat, resident of village Piplani, Tehsil Kanhod, District Dewas, M.P. passed class 10th in the year 2022-23 from Central Board of Secondary Education. Since family background is rural and farmer, due to ignorance and mistake, the date of birth 01/07/2006 was wrongly mentioned in Aadhar card, due to which the wrong date of birth 01/07/2006 was mentioned in 10th marksheet. But now the date of birth 01/07/2006 of Aadhar card changed to 06/09/2006 from birth certificate, so this is correct date of birth. Date 3/8/24

Informant Maya Patel Advocate Office Behind Court Building Kanhod District Dewas, M.P. Mobile Number 9009595101

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय राऊ गुरूकुल परिसर, रंगवासा रोड राऊ, जिला इन्दौर (म.प्र.) (नेक द्वारा "बी" ग्रेड प्राप्त) ई-मेल आई-डी :- principallrau@yahoo.com, heggraund@mpgovin

राऊ, दिनांक:- 04.08.2025 विज्ञप्ति सूचना शासकीय महाविद्यालय राऊ में जनभागीदारी / स्वचलित मद से विद्यार्थियों को सुविधा हेतु कम्प्यूटर लेब का निर्माण किया जाना है, जिसके लिए ऑनलाइन निविदा बिड क्रमांक 2025.HED.439903.1 का प्रकाशन किया गया है। इस हेतु अंतिम तिथि दिनांक 25.08.2025 तक जारी रहेगी। अतः सभी पात्र/इच्छुक / फर्म/निविदाकर्ता संस्थारें इस बिडिंग प्रक्रिया में दिनांक 25.08.2025 तक भाग ले सकते हैं। निर्धारित अर्वाधि के पश्चात बिडिंग करना संभव नहीं होगा, इसके लिये फर्म स्वयं जिम्मेदार होंगे। (डॉ. अनिल सिंह) प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय, राऊ

कार्यालय प्राचार्य, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, उज्जैन (म.प्र.) (म.प्र. शासन द्वारा स्वशासी घोषित) Tel (0) (0734)-251912 e-mail principal.uecu@gmail.com Tel (R) (0734)-2511413 Web-site www.uecu.ac.in Fax (0734)-251912 50 YEARS

Khaitan Chemicals and Fertilizers Limited CIN: L24219MP1982PLC004937 Regd. Office: A.B. Road, Village Nimrani, Tehsil Kasrawad, Dist. Khargone-451569 (M.P.) Phone: 0731-4753666 E-mail: secretarial@kcfli.in, Website: www.kcfli.in

Notice of the 43rd Annual General Meeting and E-voting Information for the purpose of Annual General Meeting

Notice is hereby given that: 1. The 43rd Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held through Video Conferencing (VC) Facility / Other Audio Visual Means (OAVM) on Friday, 29th day of August, 2025 at 11:00 A.M. to transact the Ordinary & Special Business as set out in the Notice of the AGM. The Company has sent the Notice of AGM along with Explanatory Statements and the Annual Report for the year 2024-25 on Monday, 4th day of August, 2025 through electronic mode to members whose e-mail addresses registered with the Company / Depositories in accordance with the General Circulars issued by Ministry of Corporate Affairs September 19th, 2024. Further, SEBI vide its Circulars dated 3rd October, 2024 has allowed listed entities to send their Annual Report in electronic mode. The Company will dispatch letters to those Shareholders whose e-mail addresses are not registered with Company / Registrar & Transfer Agent / Depository Participants, providing the web link of Company's website and QR Code from where the Integrated Annual Report for FY 2024-25 can be accessed. The Annual Report for Financial Year 2024-25 is available on the Company's website at www.kcfli.co.in. 2. In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, the Members, whose name appears at the close of business hours on Friday, 22nd day of August, 2025 (cut-off date) may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of the AGM through remote e-voting system of Central Depository Services (India) Limited (CDSL). All the members are informed that: i. The remote e-voting shall commence on Tuesday, 26th day of August, 2025 at 9:00 A.M. and ends on Thursday, 28th day of August, 2025 at 5:00 P.M.; during this period shareholders of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date may cast their vote electronically. E-voting shall not be allowed beyond 5:00 pm on Thursday, 28th day of August, 2025; ii. Those members who shall be present at the meeting through VC/OAVM and had not cast their votes on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from do in so, shall be eligible to vote through remote e-voting system during the AGM. iii. Once the vote on the resolution is exercised by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently. iv. For the process and manner of e-voting, Members may go through the instructions in the Notice of the AGM and in case of any queries, Members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and remote e-voting user manual available at the 'downloads' section of website: www.cdslindia.com or contact CDSL by email at: helpdesk.evoting@cdslindia.com. Members may also write to the Company Secretary at the email id: secretarial@kcfli.in or at Registered Office Address. 3. Any person who acquires shares and become Members of the Company after the sending Notice of the AGM through electronic mode but before the cut-off date of Friday, 22nd day of August, 2025 and whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories, can view the Notice of the AGM on the Company's website or on CDSL's website and can obtain their user id and password for the e-voting by sending a request at CDSL's email id: helpdesk.evoting@cdslindia.com or Company's email id: secretarial@kcfli.in. However, if a person is already registered with NSDL for remote e-voting then existing user id and password can be used for casting vote. By order of the board For Khaitan Chemicals and Fertilizers Limited Sd/- Sejal Maheshwari Company Secretary & Compliance Officer Place : Indore Date : 04.08.2025

SHREESWAL SEEDS AND CHEMICALS LIMITED CIN : L01111MP2017PLC044596 Website: www.oswalseeds.com Registered Office: Oswal House*, Opposite Baikavibairagi College, Nasirabad Highway, Village Kanwati, Neemuch-458441 (M.P.) Tel. +91-7423-297511, Email id - oswalgroups2002@gmail.com

NOTICE OF 08TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE CONVENED THROUGH VIDEO CONFERENCING ("VC") AND OTHER AUDIO VISUAL MEANS ("OAVM"), E-VOTING INFORMATION

This is in continuation to our earlier paper publication dated 29th July, 2025 whereby Members of the Company were informed that in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") read with circulars issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), the Board of Directors decided to convene the 08th Annual General Meeting ("AGM") of the Company scheduled to be held on Friday, 29th Day of August, 2025 at 2:00 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") facility, without the physical presence of the Members at a common venue, to transact the businesses as set out in the Notice of 8th AGM. The MCA & SEBI Circulars has granted relaxations to the Companies, with respect to printing and dispatching of physical copies of Annual reports to Shareholders. A member can request for a physical copy of the report by sending a request to the Company at oswalgroups2002@gmail.com The Notice of 08th AGM and Annual Report of the Company for the Financial Year ended 31st March, 2025 along with login details for joining the AGM through VC/OAVM facility including e-voting has been sent on 04th August, 2025 through e-mail to all those Members whose e-mail address were registered with the Company or Registrar and Share Transfer Agent or with their respective Depository Participants ("DP") in accordance with the MCA Circulars and SEBI Circulars and the same are also available on Company's website (www.oswalseeds.com), Stock Exchange website i.e. National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) (www.evotingindia.com). Further as per amended Regulation 36 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a letter which includes the web link including exact path where complete details of Annual Report are available, has also been sent to those shareholders who have not registered their email address(es) at their address registered with company, by Registrar and Share Transfer Agent of the Company. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, the Company is pleased to provide its members with the facility to exercise their right to vote on the agenda items as stated in the notice of 8th AGM electronically through remote e-voting (prior to AGM) and e-voting (during the AGM) through the e-voting services provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The details pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and the relevant Rules prescribed there under are as follows:- 1. The business will be transacted through voting by electronic means. 2. Date and time of commencement of remote e-voting: Tuesday, 26th August, 2025 from 09.00 A.M. 3. Date and time of end of remote e-voting: Thursday, 28th August, 2025 at 5.00 P.M. 4. Cut-Off Date: Friday 22nd August, 2025. 5. Any person, who acquires shares of the company and has become a member of the company after dispatch of notice and holding shares as on the cut-off date i.e. Friday 22nd August, 2025, may obtain the login ID and Password by following the procedure mentioned in the notice of 08th AGM. 6. E-voting by electronic mode shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on Thursday, 28th August, 2025 the facility shall forthwith be blocked. 7. The facility for voting through electronic means shall be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through e-voting. 8. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. 9. Members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date i.e. Friday 22nd August, 2025, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM venue. 10. Once the vote on a resolution is cast by the member, he/she shall not be allowed to change it subsequently. 11. The Notice of the 08th AGM and the Annual Report for the financial year 2024-25 is also available on the Company's website: www.oswalseeds.com and on the website of CDSL www.evotingindia.com. 12. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, Central Depository Services (India) Limited (CDSL), A Wing, 25th Floor, Marathon Futrex, Mafatal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call toll free no. 180022 5533. By order of the Board For SHREESWAL SEEDS AND CHEMICALS LIMITED Sd/- Dilip Patidar Company Secretary and Compliance Officer Date : 04th August, 2025 Place : Neemuch ACS-34566

